पुलिस विभाग जिला–अजमेर

।। प्रेस नोट दिनांक 13.09.2017

चोरी का प्रकरण दर्ज होने के 24 घण्टों में मुल्जिम गिरफ्तार कर माल बरामद किया गया

- *पुलिस थाना गंज में परिवादी श्री पुरूषोतम पुत्र श्री धर्मदास ने उपस्थित थाना होकर स्कूटर की डिग्गी से 2 किलो चांदी के सामान की चोरी के सम्बन्ध में रिपोर्ट पेश की। आदि रिपोर्ट पर मु.न. 184/17 धारा 379 भादस दर्ज किया गया।*

- *प्रकरण में आज दिनांक 13.09.17 कि प्रकरण दर्ज करने के 24 घण्टों के भीतर चोरी का खुलासा कर मुल्जिम गोविन्द सोनी उर्फ नोनी पुत्र फतूमल जाति सिंधी सोनी उम्र 36 साल नि. बर्फ फैक्ट्री के पीछे हिजडों की हवेली के पास कुम्हार मोहल्ला देहलीगेट थाना गंज अजमेर को गिरफ्तार किया जाकर आरोपी की निशांदेही से मुकदमा हाजा का माल मशरूका 2 किलो चांदी के घुंघरू, कडियां, नाके इत्यादि बरामद कर जप्त किये गये। मुल्जिम को कल दिनांक 14.09.17 को न्यायालय श्रीमान ए.सी.जे.एम. न. 02 अजमेर के समक्ष पेश किया जावेगा।*

➢ प्रेस विज्ञप्ति

➢ पुलिस आपके द्वार'' जनसहभागिता शिविर का आयोजन चन्द्रवरदाई नगर में जन सहभागिता शिविर का आयोजन किया गया

➢

पुलिस थाना रामगंज /पुलिस थाना केकडी!/जवाजा/टाटगढ में
आज दिनांक 13.09.2017 को पुलिस जनसहभागित की दृष्टि से दिनांक 01.09.2017 को एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था जिसमें जिले के समस्त थाना क्षैत्र में ग्राम पंचायत/वार्ड स्थित कॉलोनियां में जन सहभागिता शिविरो का आयोजन किया जा रहा है जिसके अर्न्तगत पुलिस थाना केकडी में पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अजमेर द्वारा चलाये जा रहे पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम में पुलिस थाना केकडी में ग्राम पंचायत कादेडा में थानाधिकारी हरिराम कुमावत सहायक उप0नि0रामदयाल चौधरी केलाश चौधरी आसूचना अधिकारी केदार सिंह

ने जनसहभागिता मीटिंग का आयोजन रखा जिसमें सरपंच आसाराम वैष्णव और ग्राम के मोजिज व्यक्तियो ने भाग लिया ग्रामीणो की समस्यांए सुनी समस्याओ का निस्तारण करने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस थाना गाधीनगर पुलिस अधीक्षक अजमेर द्वारा चलाए जा रहे पुलिस आपके द्वार कायक्रम म पुलिस थाना गाधीनगर के वाड न॰ -09 सरकारा स्कूल म आज दिनांक 13 सितंबर 2017 को थाना इन्चाज विश्राम लाल स.उप.नि. द्वारा जन सहभागिता शिविर का आयोजन वाड न॰-09 सरकारा स्कूल म रखा गया जिसम महेन्द्र पाल हअरुण सिह व आसूचना अधिकारा 7 रामकमल उपस्थित रहेए जिसम वाड पाषद गोपाल यादव ए व वाड के मौजिज व्यक्ति उपस्थित हुए वाडवासियां का समस्या सुनी व समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने का आश्वासन दिया गया वीसीएनबी मे इन्द्राज किया गया।

<u>*ब्लू व्हेल चैलेंज गेम से बच्चों को सुरक्षित रखने हेतु जिला पुलिस अजमेर द्वारा आज दिनांक 12.09.17 से एक जागरूता अभियान*</u>

ब्लू व्हेल चैलेंज गेम से बच्चों को सुरक्षित रखने हेतु जिला पुलिस अजमेर द्वारा आज दिनांक 12.09.17 से एक जागरूता अभियान चलाया जा रहा है जिसमें जिले के समस्त वृताधिकारी/थानाधिकारीगण अपने अपने क्षेत्र में स्थित स्कूल, कॉलेजों में जाकर इस

आत्मघाती खेल से सुरक्षित रहने हेतु बच्चो ,युवाओं, शिक्षकों एवं अभिभावको को अभिप्रेरित कर निम्न सुझाव जनहित में दिये जा रहे हैः–

- सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा उचित एवं सुरक्षित ऑन लाईन साईट का उपयोग करता है जो कि अनैतिक व्यापार या हिंसा को बढाया नही देता है।
- सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा परिवार के बीच में रखे कम्प्यूटर से इन्टरनेट तक पहुॅचता है।
- बच्चों से अधिक बातें करे व केवल नैतिक और सुरक्षित ऑनलाईन व्यवहार का प्रदर्शन करने वाले दिलचस्प गतिविधियों में शामिल करने हेतु प्रेरित करें।
- बच्चे द्वारा उपयोग किये जाने वाले सभी उपकरणों पर नजर रखें तथा स्क्रीन के समय की निगरानी करें व उनकी ऑनलाईन गतिविधियों पर नजर रखे।
- बच्चों के लिए आदर्श बने एवं अपनी स्वयं की गतिविधियों के प्रति जागरूक रहे।
- अपने आप को हाल ही की इन्टनेट घटनाओं से अद्यतन रखें।
- अपने बच्चे के व्यवहार का बारीकी से आकंलन करें किसी भी असामान्य बदलाव जैसे कि मनोदशा में, कम या ज्यादा बातचीत करना, पढाई में रूचि कम होना व ग्रेड गिरना यदि आप ऐसी चीजे नोटिस करते है तो उनकी ऑन लाईन गतिविधियों को ध्यानपूर्वक देखे व स्कूल के अधिकारियों से बात करें या बालमनोवैज्ञानिक से चर्चा करें।
- यदि आपको पता चलता है कि आपका बच्चा ब्लू हेल चैलेंज गेम खेल रहा है तो तुरन्त उसके इन्टरनेट उपयोग करने पर रोक लगा दे एवं स्थानीय पुलिस को सूचित करें और अगले सुरक्षों उपायों पर उनकी सलाह लें।
- शिक्षकों को छात्रों के ग्रेड गिरने व उनके सामाजिक व्यवहार पर नजर रखना चाहिए एवं व्यक्तिगत रूप से ऐसे बच्चों से बात करे जो अन्य बच्चों के साथ ज्यादा बातचीत नही करते है या अलग रहते है।
- यदि शिक्षकों को बच्चों के व्यवहार में कुछ संदेहास्पद या खतरनाक लगता है तो तुरन्त स्कूल के अधिकारियों एवं अभिभावकों को सूचित करें ।
- शिक्षक यह भी सुनिश्चित करें कि बच्चे स्कूल में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रोनिक गैजेट का उपयोग न करे।
- बच्चों को समय समय पर इन्टरनेट के दुष्प्रभाव के बारे में संवेदनशील करें।
- जिले के समस्त कस्बों/शहर/गांव में रात्रि गश्त हेतु जाने वाली पुलिस टीम को निर्देशित किया गया है कि रात्रि में किसी भी 12 से 19 वर्ष के युवक को अवसाद एवं मनोदश की स्थिति में अकेला घुमता पाया जाता है तो तत्काल उसका नाम पता पूछ कर उसे अपने घर पर पहुॅचाए।

शान्ति भग के आरोप में तीन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना मसुदा मे 1. बलवीर सिंह पुत्र निम्बा सिंह जाति मेहरात उम्र 18 साल निवासी राघपुरा थाना मसूदा जिला अजमेर 2. श्री गजराज पुत्र देवी लाल जाति रेगर उम्र 18 साल निवासी राघपुरा थाना मसूदा जिला अजमेर 3. दिलचन्द पुत्र मुन्ना जाति रावत उम्र 26 साल निवासी उदयगढ खेडा थाना भिनाय अजमेर को धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया। 185 एमवीएक्ट में 3 चालान

गिरफतारी वारण्टी में दो वारण्टी गिरफतार

पुलिस थाना रामगंज में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के निर्देशानुसार पैण्डिंग स्थायी वारण्टी/299 सीआरपीसी/पीओ/मफरूर/गिरफतारी वारण्टीओं के खिलाफ चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना पर पैण्डिंग गिरफतारी वारण्टी 1– शेखचांद पुत्र शेख मौहम्मद जाति मुसलमान निवासी सीसाखान हाल निवासी माइक्रोटावर सुभाषनगर थाना रामगंज अजमेर व 2– रूखसाना पत्नी शेखचांद जाति मुसलमान निवासी सीसाखान हाल निवासी माइक्रोटावर सुभाषनगर थाना रामगंज अजमेर को प्रकरण संख्या 182/12 मे न्यायालय जेएम पश्चिम अजमेर से जारी गिरफतारी वारण्ट मे आज दिनांक 12.09.17 को गिरफ्तार कर न्यायालय मे पेश किया गया।

शांति भंग के आरोप में दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना नसीराबाद सिटी में बदरूददीन धीरज व बनवारी मय जीप सरकारी मय चालक के **कुषाल गोयर पुत्र अमरचन्द जाति हरिजन निवासी म0न** 3184 **बारह क्वाटस कोटा रोड नसीराबाद** को बाद अदम अदखाल जमानत धारा 151 जाफौ मे

गिरफतार किया गया । दयाल लाल निहाल व बनवारी के 1 **नरेश कुमार उर्फ पिन्टू पुत्र सुन्दरलाल जाति जैन उम्र** 42 **साल निवासी मं नं** 3093 **पलसानिया रोड नसीराबाद** 2 **रिजवान उर्फ भैया पुत्र अब्दुल हमीद जाति मुसलमान उम्र** 28 **साल निवासी मं नं** 966 **दूधिया मोहल्ला नसीराबाद** को बाद अदम अदखाल जमानत धारा 151 जाफौ मे गिरफ्तार किया गया ।

पुलिस थाना अलवर गेट में 1 वाहन चालक द्वारा नियम विरूद्ध वाहन को नशे पते में चालाते पाये जाने पर 185 एमवी एक्ट में वाहन चालाक के विरूद्ध कार्यवाही कर वाहनों को जब्त किया गया व 60 पुलिस एक्ट में 03 व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गई

अज्ञात मृतक के वारिसान की तलाश

पुलिस थाना क्रिश्चनगंज आज दिनांक 13.9.17 को अज्ञात मृतक जो कि लोहागल में गोपाल के मकान पर रहता था घुम फिर कर खुली मजदूरी करता था जिसकी आज दिनांक 13.9.17 को पुरानी बिमारी से मृत्यु हो गई। जिसका नाम हरिसिंह धोनी होना बता रहे है। लाश चीरघर जे एल एन एच अजमेर मे रखवाई गई। हरिसिंह धोनी गढवाली भाषा बोलता था जिसके वारिसान की तलाश जारी है। मिलने पर थाना हाजा पर सूचित करावे।